

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -2081/2012/बीकानेर

मैसर्स जयचन्द लाल डागा, लाभूजी कटला, बीकानेर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर

.....प्रत्यार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के. पारीक
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यार्थी की ओर से.

दिनांक : 26.08.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 192/ आरवैट/बीकानेर/11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।


1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी एक माईन्सहोल्डर है और क्ले. मिट्टी का खनन करके विक्रय करता है। अपीलार्थी द्वारा खनन कार्य के लिए प्लॉन्ट एवं एवं मशीनरी जिसमें एक्सकेवेटर मशीन (Excavators Machine) एवं ट्रिपर ट्रक (Tripar Track) राज्य के भीतर से रजिस्टर्ड व्यवहारियों से खरीद कर पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स का क्लेम किया है। जिस पर सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त बीकानेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त माल को केपिलस गुड्स की श्रेणी में नहीं मानते हुए इनपुट क्लेम अस्वीकार कर दिया है कि खनन कार्य निर्माण की परिभाषा में नहीं आता है एवं उपरोक्त वर्णित प्लॉन्ट एवं मशीनरी पूंजीगत माल की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः पूंजीगत इनपुट क्लेम स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा क्लेम आई.टी.सी. रूपये 3,08,625/- अस्वीकार कर दिये एवं इस राशि पर धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 86,892/- का भी आरोपण किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के

लगाता.....2

Amal Kumar
26/08/16

समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 को कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

1. अपीलार्थी विद्वान अभिभाषक श्री वी.के. पारीक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि धारा 2(7) में पूंजीगत माल (Capital Goods) के विषय में प्लांट एवं मशीनरी में वह सब कुछ शामिल है जो निर्माण के लिए काम आते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी राजकीय गजट में उनको प्रतिबंधित नहीं किया है। जबकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में काम आने वाले पूंजीगत माल को प्रतिबंधित किया है तथा किसी भी पूंजीगत माल को प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं लिया गया है। खनन कार्य के लिए एक्केवेटर मशीन खुदाई के लिए कार्य में आती है, इसके बीना खुदाई का कार्य नहीं हो सकता है। साथ ही ट्रक ट्रिपर में खोद गये माल को परिवहन के लिये काम में लाया जाता है तथा खनन कार्य करने के लिये इन दोनों की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, उससे स्पष्ट नहीं किया गया है कि धारा 2(22) के अन्तर्गत निर्माण की परिभाषा में खनन कार्य क्यों नहीं आता है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि. एआईआर 1963 एससी-791, चौउगुले एण्ड कम्पनी प्रा. लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (1981 47 एसटीसी 124 एससी.) अ.प्र. ने स.वा.क.अ. घट III वृत बी, जयपुर बनाम खटाणा स्टोन्स प्रा. लि. के प्रकरण में माननीय कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय को भी उद्धरित किया। जिसमें पत्थर के खनन कार्य को निर्माण की श्रेणी में माना है। इस प्रकार अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्ले को मुख्य रूप से उत्खनित किया जाकर उसकी छंटाई एवं ड्रेसिंग कार्य किया जाता है इस प्रक्रिया से नई व्यापारिक वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, खनन के पूर्व भी क्ले होती है तथा खनन के पश्चात भी क्ले की बिक्री की जाती है। किसी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत आगत कर क्लेम तभी देय है, जब राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से करयोग्य माल खरीद कर उससे नवीन वस्तु का निर्माण कर पुनः कर योग्य माल के रूप में विक्रय करता है अथवा कोई वस्तु कच्चे माल के रूप में


26/08/16


लगातार.....3

खरीद कर उससे निर्मित नयी वस्तु राज्य/अन्तर्राज्य विक्रय/निर्यात करता है अथवा कर योग्य माल खरीद कर राज्य में केपीटल गुड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किया गया माल केपीटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आने से कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस पर आई.टी.सी. की देयता नहीं माने जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। इस प्रकार अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान एक्सकेवेटर, डम्पर एण्ड पार्ट्स व ट्रेक्टर की खरीद केपीटल गुड्स के रूप में किया जाना दर्शाते हुए, इन पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. चाहा गया है। इस सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा 18(1) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा :-

18. Input Tax Credit. -

- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -
 - (a) sale within the State of Rajasthan; or
 - (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
 - (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
 - (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
 - (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
 - (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
 - (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.
6. इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 2(7) केपीटल गुड्स (Capital Goods), धारा 2(22) विनिर्माण (Manufacturing), एवं धारा 2(17) आगतकर (Input Tax) को अधिनियम में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-


26/08/16


2(7) "**Capital Goods**" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette.

Explanation-For removal of doubts, it is hereby clarified that "capital goods" do not include any equipments or appliances used in an office of a dealer or used in execution of works contract.

2(22) "**Manufacture**" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

2(17) "**Input Tax**" means tax paid or payable by a registered dealer in the course of business, on the purchase of any goods made from a registered dealer.

7. यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्ले को मुख्य रूप से उत्खनित किया जा कर उसकी छटाई एवं ड्रेसिंग का कार्य किया जाता है। खनन से पूर्व उत्खनित वस्तु क्ले थी और खनन के पश्चात् भी क्ले है। इस प्रकार यह उत्खनित वस्तु विनिर्माण (Manufacture) की परिभाषा में नहीं आती है। अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये विवादित माल का कर योग्य माल के रूप में पुनर्विक्रय किया जाना भी नहीं पाया जाता है तथा इस लिये उक्त मशीनरी Capital Goods की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत उल्लेखित किये गए हैं वह प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते हैं।
8. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 2131/2011/चित्तौड़गढ़ मैसर्स मंगलम् मार्बल्स प्रा० लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2013 एवं मैसर्स वर्धमान टाईल्स उदयपुर बनाम एसीटीओ सर्कल-सी, उदयपुर (2013) 36 टैक्स अपडेट 63 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है।
9. इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई अनियमितता एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।
10. परिणामस्वरूप अपीलीय व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.02.2012 की पुष्टि की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य